उत्तराखण्ड वन विकास निगम

कार्यालय प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, रामनगर (नैनीताल)

शंकुधारी/चौड़ी पत्ती प्रकाष्ठ,जड़ एवं जलौनी की अल्पकालीन बिक्री हेतु निविदा सूचना

उत्तराखण्ड वन विकास निगम के समस्त पंजीकृत/अपंजीकृत क्रेताओं को सूचित किया जाता है कि विक्रय प्रभाग रामनगर के अन्तर्गत आमडण्डा प्रथम. चॉदनी, चूनाखान, पतरामपुर कालाढुॅगी प्रथम,द्वितीय,तृतीय डिपोओं में उत्पादन वर्ष 2019-20 व उससे पूर्व में डिपोओं में प्राप्त दो बार निरस्त, दो बार जमानत जब्त एवं तीन बार से अधिक नोविड प्रकाष्ठ, जड़ एवं जलौनी की बिक्री हेतु दिनांक 16-01-2021 को अपरान्ह 2.00 बजे तक पंजीकृत/कोरियर डाक द्वारा कार्यालय प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, आमडण्डा रामनगर (नैनीताल) के पते पर सील बन्द निविदाये आमंत्रित की जाती है जो उसी दिन अपरान्ह 3:00 बजे अधोहस्ताक्षरी अथवा गठित समिति द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी ।

इच्छुक निविदादाता निविदा की शर्ते एवं निविदाफार्म एवं विक्रय सूची किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक आमडण्डा, रामनगर (नैनीताल) तथा कालाढुॅगी प्रथम एवं पतरामपुर डिपो से भी प्राप्त कर सकते हैं।
विक्रय सूची वैबसाइट website:uafdc.in पर भी देखी जा सकती है।
दूरभाष नम्बर 05947-251233, मो0न0-9568003217

(एस0आर0सुरीन)
प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक
रामनगर।

अल्पकालीन निविदा में क्रय की जाने वाली लौट/लौटों हेतु शर्ते

01- (क) निविदा के साथ नेक जमानत धनराशि के रूप में क्रय लौट/लौटों (कुल लौटों) के निम्न प्रकार प्रस्तावित मूल्य की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम के रामनगर शाखा में देय अधिसूचित बैंक का संलग्न किया जाना अनिवार्य है। नेक जमानत धनराशि कम होने की दशा में निविदा पूर्णत निरस्त/अस्वीकृत कर दी जायेगी तथा केताओं का जी0एस0टी0 पंजीकरण होना अनिवार्य है निम्न प्रकार नेक जमानत जमा करनी अनिवार्य होगी:-

नेक जमानत धनराषि कर	गोल प्रकाष्ठ	जड़	जलौनी
सहित	10%+18% GST	10%+5% GST	10%

(ख) इस प्रभाग के अधीन किसी भी डिपो में निविदादाता की क्रेडिट धनराशि की एडवाइस सम्बन्धित डिपो अधिकारी/डिपो लेखाकार द्वारा जारी की गयी हो, जिसे निविदा फार्म के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

02. निविदा में उच्चतम निविदादाता द्वारा क्रय की जाने वाली लौटों की शेष देय जमानत धनराशि उत्तराखण्ड वन विकास निगम की नीलाम शर्त संख्या 05 के अनुसार शेष जमानत धनराशि की सूचना नियमानुसार सम्बन्धित डिपो अधिकारी द्वारा पंजीकृत डाक से (प्रेषित की तिथि को छोड़कर) 07 दिनों के अन्दर क्रय लौटों से सम्बन्धित डिपो में जमा करना आवश्यक होगा ताकि पूरी जमानत जमा होने पर ही निविदाओं के अनुमोदन हेतु अग्रिम कार्यवाही की जायेगी अन्यथा की स्थिति में 10%+18% GST, 10%+5% GST व 10% नेक जमानत जब्त कर ली जायेगी तथा सम्बन्धित लौट/लौटों का आगामी नीलाम/निविदा द्वारा विक्रय करने की कार्यवाही की जायेगी।

03 सफलतम निविदादाता को निविदा में प्रस्तावित लौटों एवं मूल्य की स्वीकृति स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रेषित की जायेगी भुगतान एवं निकासी के सम्बन्ध में वन निगम के विक्रय नियम लागू होगें।

04 निविदा में उत्तराखण्ड वन विकास निगम के नीलाम की सामान्य शर्त सं0-2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 लागू होंगे।

05 प्रत्येक डिपो हेतु निविदाऐं अलग-अलग निर्धारित फार्म में देनी होगी। जो फार्म इस कार्यालय द्वारा जारी किये गये हों सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।

06. प्रत्येक डिपो की निविदा हेतु प्रकाष्ठ पर 10%+18% GST कर सहित धनराशि व जड़ हेतु 10%+5% GST कर सहित धनराशि तथा जलौनी हेतु10% धनराशि का बैंक ड्राफ्ट भी अलग-अलग संलग्न करना होगा। दो डिपोओं के लिये एक नेक जमानत धनराशि का बैंक ड्राफ्ट किसी भी दशा में स्वीकार नहीं होगा।

07. निविदा के लिफाफे के बाहर ''प्रकाष्ठ, जड़ जलौनी क्रय हेतु निविदा'' अवश्य लिखा जाना चाहिए।

08. निविदा प्राप्त होना :-

(क) निविदाऐं रजिस्टर्ड/कोरियर डाक द्वारा ही प्राप्त की जायेंगी।

(ख) निविदा का खोला जानाः-दिनांक 16-01-2021 को अपरान्ह 2:00 बजे तक प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम आमडण्डा-रामनगर में प्राप्त निविदाऐं जो उसी दिन अपरान्ह 3:00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष अधोहस्ताक्षरी अथवा गठित समिति द्वारा आमडण्डा प्रथम डिपो के नीलाम गृह में खोली जायेंगी। इच्छुक निविदादाता निविदा खोलते समय उपस्थित रह सकते हैं।

09. निविदा के प्रत्येक लौट का प्रस्तावित निविदा मूल्य स्पष्ट रूप से अंको व शब्दों में अंकित होना चाहिए। एक साथ कई लौटों का विक्रय मूल्य अंकित करने पर लौट स्वतः निरस्त मानी जायेगी।निविदा पत्र में संशोधन व अपलेखन मान्य नहीं होगा।

10. निविदा फार्म में संलग्न ड्राफ्ट का विवरण एवं निविदादाता का पूरा पता दूरभाष/मोबाइल नं0 सहित स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए।

11. निविदा में निविदादाता की किसी भी लौट की निविदा यदि सम्बन्धित डिपो में सफल नहीं होती है तो निविदादाता सम्बन्धित डिपो लेखाकार से निविदा तिथि से 10 दिन के अन्तर्गत अपने नेक जमानत धनराशि के बैंक ड्राफ्ट मूल में वापस ले सकते हैं। 10 दिन पश्चात् नेक जमानत धनराशि के बैंक ड्राफ्ट सम्बन्धित डिपो लेखाकार द्वारा बैंक में जमा कर दिये जायेंगे।

12. उपरोक्त देयकों की अन्तिम तिथि को राजकीय अवकाश होने की दशा में मूल्य भुगतान एवं निकासी की अवधि तद्नुसार बढ़ जायेगी।

13. क्रेता को स्वयं अथवा उसके अधीकृत प्रतिनिधि को ही प्रकाष्ठ की निकासी दी जायेगी।

14 निविदा के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का विवाद होने पर क्षेत्रीय प्रबन्धक (प0क्षे0), उत्तराखण्ड वन विकास निगम, रामनगर आर्बीट्रेटर होंगे, जिनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य/स्वीकार होगा।

(एस0आर0सुरीन)
प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक
रामनगर।

कार्यालय प्रभागीय विकय प्रबन्धक,उत्तराखण्ड वन विकास निगम,रामनगर।

पत्रांक-वि0 3815 /अल्पकालीन निविदा सूचना/ दिनांक- 01/01/2021

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

01-प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।
02-महाप्रबन्धक (कु0म0) उत्तराखण्ड वन विकास निगम हल्द्वानी।
03-क्षेत्रीय प्रबन्धक(प0क्षे0),उत्तराखण्ड वन विकास निगम, रामनगर।
04-समस्त डिपो अधिकारी, विक्रय प्रभाग, रामनगर।
06-क्रेता संघ,रामनगर,जसपुर,कालाढुंगी।
07-नोटिस बोर्ड कार्यालय/डिपो।

(एस0आर0सुरीन)
प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक
रामनगर।

कार्यालय–प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक,उत्तराखण्ड वन विकास निगम,रामनगर।
दूरभाष / फैक्स नं0–05947-251233, ई–मेलः dmm.ram_nagar@yahoo.com

प्रकाष्ठ क्रय करने हेतु निविदा फार्म

निविदा फार्म संख्या ....
डिपो का नाम.............................

01–निविदा द्वारा क्रय हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव का विवरणः–

क्र0सं0	लौट संख्या	प्रकाष्ठ की मात्रा(घमी0)	विक्रय मूल्य		नेक जमानत निविदा मूल्य का 10%+G.S.T.
			अंको में	शब्दों में	